

-विज्ञप्ती-

जी.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स 2010-11 में प्रवेश हेतु द्वितीय काउन्सलिंग

जी.एन.एम. प्रशिक्षण कोर्स 2010-11 में प्रवेश के लिए प्रथम काउन्सलिंग हेतु जारी विज्ञप्ती कमांक प्रशि./जी.एन.एम./जी-88/2010/1672 दिनांक 25.08.2010 के क्रम में प्रथम काउन्सलिंग के बाद रिक्त रही सीटो पर प्रवेश के लिए द्वितीय काउन्सलिंग हेतु निम्न श्रेणी/वर्ग के सम्मुख अंकित प्राप्तांक प्रतिशत तक के अभ्यर्थियो को अपने मूल दस्तावेजों तथा राजकीय नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिति में 180/- व निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश की स्थिति में 10000/- रुपये का डी.डी. जो रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के नाम देय हो, सहित प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु चयन समिति के सम्मुख राजस्थान नर्सिंग कौंसिल भवन, बी-39 सरदार पटेल मार्ग, सी स्कीम, जयपुर के यहाँ निम्नानुसार उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

क. स.	श्रेणी/वर्ग	प्राप्तांक प्रतिशत	दिनांक प्रातः 9:00 बजे
राजकीय/निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु			
1.	विकलांग/विभागीय सेवारत कर्मचारी	अ.जा.,अ.ज.जा. वर्ग के बायलॉजी/अन्य विषय ग्रुप में 35 प्रतिशत तक तथा सामान्य/ओ.बी.सी. सर्वर्ग में 40 प्रतिशत तक के महिला पुरुष अभ्यर्थी	27.10.2010
राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु			
2.	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा.अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी ग्रुप 65.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.2010
3.	अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग महिला	बायलॉजी ग्रुप 63.231 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.2010
4.	अ.जा. महिला	बायलॉजी ग्रुप 61.600 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.2010
5.	अ.ज.जा. महिला अ.ज.जा. (टी.एस.पी एस.टी)	बायलॉजी ग्रुप 54.154 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी बायलॉजी ग्रुप 54.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.2010 27.10.2010
6.	सामान्य पुरुष (अ.जा., अ.ज.जा.अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी ग्रुप 73.077 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.2010
7.	अन्य पिछडा वर्ग/वि.पि.व. पुरुष	बायलॉजी ग्रुप 72.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.10
निजी प्रशिक्षण केन्द्र पर चयन हेतु			
8.	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा.अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	अन्य विषय ग्रुप 60.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	27.10.10
9.	सामान्य महिला (अ.जा., अ.ज.जा.अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	अन्य विषय ग्रुप 57.692 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	28.10.10

9/11

10.	महिला विशेष पिछडा वर्ग, टी.एस.पी. (एस.टी.), टी.एस.पी. (एस.सी.) तथा शहरिया महिला अभ्यर्थी	अन्य विषय गुप 40.692 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी अन्य विषय गुप 50.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी अन्य विषय गुप 35.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	28.10.2010 28.10.2010 28.10.2010
11	सामान्य पुरुष (अ.जा., अ.ज.जा,अ.पि.व, वि.पि.व, टी.एस.पी. (एस.सी.), टी.एस.पी. (एस.टी.) शहरिया एवं सामान्य	बायलॉजी गुप में 58 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	29.10.2010
12.	पुरुष अभ्यर्थी वि.पि.व., अ.ज.जा. टी.एस.पी.(एस.टी) टी.एस.पी. (एस.सी.), शहरिया (ज.जा.)	बायलॉजी गुप 41.846 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी बायलॉजी गुप 55.077 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी बायलॉजी गुप 35.00 प्रतिशत तक के अभ्यर्थी	29.10.2010 29.10.2010 29.10.2010

अन्य पि.व., वि.पि.व का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक अवधि का नहीं होना चाहिए। आरक्षित वर्ग के महिला अभ्यर्थी का पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, पति के नाम का नहीं।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्रों में उक्त तालिका में दर्शित प्राप्तांक प्रतिशत तक प्रथम काउन्सलिंग में चयनित अभ्यर्थीयों से उपर के प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी जो अनुपस्थित रहे हो या आवंटन हो जाने के बाद ज्वाइन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये प्रतीक्षा सूची का प्रथम काउन्सलिंग में विकल्प दिया हो ऐसे अभ्यर्थी ही द्वितीय काउन्सलिंग में उपस्थित होंगे। इसी प्रकार निजी प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रवेश के लिये उपरोक्त प्राप्तांक प्रतिशत से अधिक प्राप्तांक वाले ऐसे अभ्यर्थी भी जो प्रथम काउन्सलिंग में अनुपस्थित रहे हो या आवंटित केन्द्र पर ज्वाइन नहीं किया हो या किसी केन्द्र विशेष के लिये विकल्प दिया हो द्वितीय काउन्सलिंग में प्रवेश पा सकेंगे। जिन अभ्यर्थीयों ने प्रथम काउन्सलिंग में प्रवेश ले लिया है, ऐसे अभ्यर्थी काउन्सलिंग के पात्र नहीं हैं।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.01.91 के नियम 8 (5) के अनुसार जी.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध है और अभ्यर्थी को प्रवेशित संस्थान पर ही प्रशिक्षण पूर्ण करना आवश्यक है। अतः प्रथम काउन्सलिंग में प्रवेशित जिन अभ्यर्थीयों ने अपने आवंटित राजकीय/निजी केन्द्रों पर ज्वाइन कर लिया है उन्हें द्वितीय काउन्सलिंग में अनुमति देय नहीं होगी। अतः ऐसे अभ्यर्थी द्वितीय काउन्सलिंग में उपस्थित नहीं होंगे।

राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेशित अभ्यर्थी को 180/- रुपये के डी.डी. के साथ मौके पर ही अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज जमा करवाना अनिवार्य होगा। निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेशित अभ्यर्थी को 10000/- रुपये का डी.डी. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर के नाम जमा कराना होगा तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कुल फीस राशि 38000/- में से शेष राशि 28000/- हजार रुपये प्रवेशित संस्थान पर उपस्थिति देते समय अपने मूल शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेजों के साथ जमा करवाना अनिवार्य होगा। उक्त काउन्सलिंग में निजी नर्सिंग स्कूल में प्रवेश हेतु निर्धारित राजकीय कोटे की सीटों की संख्या के तीन गुना अभ्यर्थीयों को काउन्सलिंग हेतु बुलाया गया है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि बुलाये गये सभी अभ्यर्थीयों का चयन हों। काउन्सलिंग में आने वाले अभ्यर्थीयों को किसी भी प्रकार का कोई भत्ता देय नहीं होगा।



(बी०के० दोसी)
अति० निदेशक प्रशि०
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज० जयपुर